



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102025-267192
CG-DL-E-28102025-267192

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4726]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 4726]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4872(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 कि.मी. से 42 कि.मी. के Greenfield Highway तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-Greenfield Highway तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति	राष्ट्रीय राजमार्ग	उत्तराखण्ड	देहरादून	विकास नगर	1 मिसरास पट्टी

अधिकारी (देहरादून)	संख्या Greenfield Highway के कि.मी. 0 से कि.मी. 42 तक					2	बकारना	
						3	बिधौली	
						4	कांसवाली कोठरी	
						5	चक नौगांवा	
						6	माण्डूवाला	
						7	नौगांव	
						8	कण्डौली	
						9	सुद्धोवाला	
						10	अम्बीवाला	
						11	थानगांव	
						12	डुंगा	
						देहरादून	1	रिखौली
							2	बुलाहट
							3	जसकेट

[फा. सं. NHA/UK/NH07]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2025

S.O. 4872(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 42.000 of the 2 lane with Paved shoulder Greenfield Highway for building, maintenance, management and operation in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Greenfield Highway in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SLAO, Dehradun	Greenfield Highway KM 0 TO KM 42	UTTARAKHAND	DEHRADUN	Vikas Nagar	1 Misras Patti 2 Bakrana 3 Bidhauri 4 Kanswali Kothri 5 Chaknugaon

						6	Manduwala
						7	Naoungaoun
						8	Kandouli
						9	Sudowala
						10	Ambiwala
						11	Thangaon
						12	Dunga
					Dehradun	1	Rikhauli
						2	Bulhat
						3	Jaskhet

[F. No. NHAI/UK/NH07]

SHAIKH AMINKHAN, Director